

5/2/26

पत्रावली पेश हुई। उक्त से संबंधित शब्द

इत्यादि धरणीनिद बनाम तेलोष काँठ दु० नं० 195/08


खाति होने से द०/५० फा टी कार चलेने योग्य उचित

नहीं है। अतः द०/५० फा खाति की जाती है।

पत्रावली फेंकल भुक्तार विक्टर नेवा क कभ विक्टर धरणी

दफ्तर है। आदेश कुनमा म०




उपखण्ड अधिकारी
करौली (सज०)